First Amendment

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246905
CG-DL-E-01072023-246905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
No. 378] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीखः 30 जून, 2023

सा.का.नि. 467 (अ):— केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचना नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए,निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचना (संशोधन) नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. राष्ट्रीय विद्युत योजना अधिसूचना नियम, 2004 में,नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "3.**राष्ट्रीय विद्युत योजना प्रारूप की अधिसूचना**.- (1) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन तैयार की गई राष्ट्रीय विद्युत योजना का प्रारूप अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन कंपनियों तथा साधारण जनतासे सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरणकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और इस आशय का नोटिस कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा;

(2) सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए,प्राधिकरण द्वारा ऐसी योजना के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख से,60 दिन की अवधि, प्रदान की जाएगी।"

(3) अंतिम राष्ट्रीय विद्युत योजना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

[फा.सं.23/27/2022-आर एंड आर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 234 (अ) तारीख6 अप्रैल, 2004 द्वारा वर्ष 2004 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2023

G.S.R. 467(E):— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the National Electricity Plan Notification Rules, 2004, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Electricity Plan Notification (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Electricity Plan Notification rules, 2004, for rule 3, the following shall be substituted, namely:-

"3. **Notification of draftNational Electricity Plan**.- (1) A draft National Electricity Plan prepared under the provisions of sub-section (4) of Section 3 of the Act shall be published on the website of the Authority for inviting suggestions and objections of licensees, generating companies and general public and notice to this effect shall be published in at least two daily newspapers;

(2) For inviting suggestions and objections, a period of sixtydays, from the date of publication of such draft Plan, shall be provided by the Authority."

(3) The final National Electricity Plan shall be notified on the website of the Authority.

[File No.23/27/2022-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in 2004 in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 234(E), dated 6th April, 2004.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.